फर्द अहकाम

नाम न्यायालय राजेन्द्र प्रसाद बनाम ओमप्रकाश, कोर्ट उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 01/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2	[illegible] विरुद्ध लंबित [illegible] नहीं मानते। अतः रेस्पोंडेन्ट [illegible] के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही आगे से लाई जाती है। पत्रावली का अवलोकन कर वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली बाबते आदेश हेतु दिनांक 26/12/23 को पेश हो।	
	26/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। समय के अभाव के कारण नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली प्रकीर्णक बाबते आदेश हेतु दिनांक 29/12/23 को पेश हो।	
	29/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस का मनन किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 रा. भू. राजस्व अधि. की उपधारणा के आधार पर स्वीकार की जाती है तथा पत्रावली से विस्तृत निर्णय पृथक से लिख कर शामिल किया गया। पत्रावली कोर्ट शुमार होकर नम्बर से कम से नम्बर बाद क्षति होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)